हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पहुँच हेतु रास्तो को भी ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावें। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करें। विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/ विविध/10546 दिनांक 5.10.2020 में प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया जावें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव के दिनांक 28.06.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जिला नीमकाथाना (राज.)

महाराम वगै0 बनाम जोधा वगै0
वाद संख्या 42/2024

28.6.2024 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया । वकील वादीगण का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.05.2024 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से वकील उभय पक्ष सहमत है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी. कर दिया जावें। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ0डी0 किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे ... भी सहमत है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

F/D हेतु पेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2024/3630 दिनांक 18.06.2024 द्वारा प्रस्तावितानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:49:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उप[illegible] अधिकारी
[illegible] (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:49:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner